न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 62/2022(GCMS 2022/357)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **सतेन्द्र कुमार** पुत्र श्री परमानन्द जाति अरोड़ा निवासी [illegible] तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड** अधिकारी, तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने वाके ग्राम 1 एफ.ए. के खसरा नम्बर 34/20 की अवाप्त भूमि पर स्थित खजूर के वृक्षों के संबंध में अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को अपने मन–मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार, नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर) को 4/6–लेन निर्माण करने तक के भूखण्ड के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का [illegible] पालन करने के लिये दिनांक 12.01.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के अनुमोदन बाद केन्द्र सरकार ने उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के लिये राजस्थान राज्य के 34.500 किमी. से 71.000 किमी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सेक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वाके ग्राम 1 एफ.ए. के खसरा नम्बर 34/20 में से अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। तदोपरान्त धारा 3ए (3) के तहत उक्त अधिसूचना का आमजन को सूचित करने के लिये स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाकर 21 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी, उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में जिन हितधारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा उसी के तहत नियमानुसार निस्तारण कर भूमि व उस पर स्थित पेड़–पौधों/वृक्षों व निर्मित संरचना इत्यादि का अर्जन अन्तर्गत धारा 3ए से कर लिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त प्राप्त आपत्तियों को निर्णित करने के पश्चात धारा 3डी का अपना प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा अर्जन की घोषणा हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 31.08.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया । धारा 3डी(2) के अनुसार अर्जन की घोषणा होने के बाद उक्त खसरान् की अवाप्त भूमि व उस पर स्थित पेड–पौधे/वृक्ष इत्यादि निर्बाध रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्रधिकारी ने अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण में धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार बाजार दर का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 02.04.2018 को प्रचलित भूमि की कदर को उपपंजीयक से प्राप्त करने के बाद उसे उपयोग में लिया जाकर ही भूमि का अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(बी) की परिभाषा व उसकी वास्तविक मंशा व अर्थ को समझे बिना धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानो के विपरित जाकर सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिनांक 18.06.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मुरब्बा नम्बर 34 के बीघा नं. 20 की अवाप्त भूमि पर उस दिन **(दिनांक 18.06.2021 को)** स्थित खजूर के पौधों की गणना व आयु निर्धारित की गई, जिनमें कमेटी ने कुल 20 पौधो की आयु 1 वर्ष, 45 पौधों की आयु 04 वर्ष, 15 पौधों की आयु 06 वर्ष मानी, के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसके अनुसार उक्त वृक्षों का/पोधों की कुल मुआवजा राशि 6,36,91,605/— मूल्यांकित की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त मूल्याकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रिपोर्ट में वर्णित खजूर के पौधे विभागीय निर्देशानुसार सही या नहीं?, का परीक्षण करने हेतु संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) खण्ड—श्रीगंगानगर को उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 को प्रेषित कर दी गयी। जिस पर संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 के बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट किया है कि "भारतमाला अंतर्गत अवाप्तधीन भूमि में बाग हेतु किन्नू एवं खजूर के रोपित किये गये **पौधों की आयु का सत्यान सेटेलाइट से प्राप्त ईमेज के आधार पर करवाकर कृषकों के द्वारा भारतमाला राजमार्ग की अधिग्रहण की सूचना के उपरान्त मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों का रोपण कर बाग स्थापित किये जाने या पहले से बाग लगे होने की [illegible] जा सकती है"** तथा साथ ही बिन्दु संख्या 5 में यह भी [illegible] के **द्वारा खेत की पेरीफेरी (बाउण्ड्री) पर उद्यानिकी पौधों का रोपण करना बाग स्थापना की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju.
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) की उक्त रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 से स्पष्ट हो गया है कि हस्तगत प्रकरण में अधिनियम, 1956 की **धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख** को अवाप्त भूमि पर लगे प्रश्नगत पौधों की सेटेलाइट ईमेज प्राप्त करने के उपरान्त उनका सत्यापन कर मुआवजा निर्धारित किया जाना नियमानुसार एवं न्यायोचित होता तथा हस्तगत प्रकरण में रोपित खजूर के पौधे स्कूल की दीवार के समीप पेरीफेरी (बाउण्ड्री) पर प्रदर्शन मात्र के उद्देश्य से रोपित किये गये है, ना कि कृषि/फलदार व्यवसाय करने के लिये रोपित किये गये है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में धारा 3ए की अधिसूचना से पूर्व लगे प्रश्नगत पौधों का सत्यापन सेटेलाइट ईमेज के आधार पर कर उनकी मुआवजा राशि संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) की रिपोर्ट अनुसार केवल मात्र आधार मूल्य ही दिया जाना नियमानुसार एवं न्यायोचित है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.05.2022 से सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को अवाप्त भूमि पर लगे प्रश्नगत पौधों की धारा 3ए की स्थिति अनुसार गूगल अर्थ ईमेज उपलब्ध करवा दी गयी थी, जिनमें साबित हो गया था कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्नगत पौधों को धारा 3ए की अधिसूचना के पश्चात रोपित किये गये है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत पौधों की मुआवजा राशि निर्धारण की प्रक्रिया गलत होने से पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 अनुचित एवं अवैध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में 15 पौधों की आयु 06 वर्ष, 12 पौधों की आयु 04 वर्ष एवं 53 पौधे धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगे होना बताया … सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के अनुसार 53 पौधों को धारा 3ए के पश्चात् लगाये जाने के कारण मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन शेष बचे 15 पौधों की आयु

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

(Mc) [signature]
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

06 वर्ष, 12 पौधों की आयु 04 वर्ष मानी जाकर कुल 27 पौधों का अवाप्त भूमि पर स्थित अवसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण कर आलोच्य अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित कर दिया गया, जो कि अनुचित एवं अवैध है

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 के अनुसार उक्त अवाप्त भूमि में स्कूल बना हुआ है तथा प्रश्नगत पौधे विद्यालय की चारदीवारी के नजदीक लगाये गये है, **जिनका खसरा गिरदावरी में कोई अंकन नहीं है।** जिससे जाहिर होता है कि उक्त प्रश्नगत पौधे प्रदर्शन मात्र के उद्देश्य से रोपित किये गये है, ना कि कृषि फलदार व्यवसाय करने के लिये रोपित किये गये है। जिनकी मुआवजा राशि का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना से पूर्व के रोपित होने की स्थिति में संयुक्त निदेशक(कृषि विस्तार) की रिपोर्ट अनुसार उद्यानिकी पौधों के समरूप आकलन न करते हुए, केवल मात्र आधार मूल्य ही दिया जाना नियमानुसार एवं न्यायेचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना के द्वारा ही भूमि, भवन, पेड़–पौधे/वृक्ष, अन्य संरचना इत्यादि को अवाप्त कर लिया जाता है, जिनका धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को भूमि, भवन, पेड–पौधे/वृक्ष, अन्य सरचना इत्यादि की किस्म, प्रकृति, आयु आदि को ध्यान में रखते हुए प्रचलित दर को उपयोग में लिया जाकर मुआवजा निर्धारण किया जाता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधिनियम 1956 की धारा 3(बी) व धारा 3जी (7) (ए) का साथ–साथ अवलोकन किया जाये तो, खजूर के वृक्षों की [illegible] राशि के निर्धारण में धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानों की [illegible] है। हस्तगत प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जारी कर, भूमि अवाप्ति के साथ–साथ उस भूमि पर स्थित समस्त परिसंपात्तेयों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भी अवाप्त कर लिया गया था, इसलिए धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अवाप्त भूमि पर खजूर के पौधे/वृक्ष स्थित नहीं थे। अवाप्त भूमि क्षेत्र की गूगल अर्थ से ली गयी फोटो से स्पष्ट होता है कि धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 से लेकर लगभग माह दिसम्बर 2021 तक उक्त अवाप्त भूमि पर कोई खजूर के पौधे स्थित नहीं थे। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार/भू–हितधारी ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने लालसा में षड्यंत्र पूर्वक राजकोष को हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हुये धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी होने के लगभग 03 वर्ष पश्चात अवाप्त भूमि पर नये खजूर के पौधे रोपित किये गये है, जिनका भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 को आधार मानते हुये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद लगाये गये खजूर के 27 पौधों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानों के विपरीत जाकर आलोच्य अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित कर दिया गया, जो कि अनुचित एवं अवैध होने के कारण संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति की बदले में दी जाने वाली मुआवजा राशि पब्लिक एक्सचेकर की राशि के माध्यम से दी जाती है। यह धन जनहित से जुड़ा होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ग्राम 1 एफ.ए. के खसरा नम्बर 34/20 की अवाप्त भूमि पर स्थित खजूर के पौधों/वृक्षों के सम्बन्ध में तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पारित अ[illegible] को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा [illegible]काशन की दिनांक 02.04.2018 को अवाप्त भूमि की स्थिति[illegible] मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने वाके ग्राम 1 एफ.ए. के खसरा नम्बर 34/20 की अवाप्त भूमि पर स्थित खजूर के वृक्षों के सम्बन्ध में अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 को अत्यधिक न्यून, बिना सम्बन्धित नियमों का अवलोकन किये एवं महज प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से एवं पत्रावली पर उपलब्ध **प्रीति बाला सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, जिससे यह तथ्य प्रमाणित था कि प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 80 खजूर के पौधे रोपित है** एवं जिसके सन्दर्भ में समस्त वस्तुःस्थिती, मौका देखकर, गूगल मैप से फोटो ली जाकर एवं सम्बन्धित रिपोर्ट ली जाकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुआवजा राशि 6,36,91,605/—रूपये प्रस्तावित की गयी थी एवं इस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम आरोपित करते हुए यथा राशि प्रार्थी को स्थित परिसंपत्तियों में खजूर के पौधों के नुकसान के आंकलन स्वरूप दिये जाने का प्रावधान अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 में किया जाना चाहिये था, को नजर अन्दाज कर एवं अनावेदक संख्या 2 के द्वारा उक्त रिपोर्ट को ना मानते हुए वरन् दिनांक 04.05.2022 को पुनः एक रिपोर्ट अपनी अधिकारिता का दुरुप्योग करते हुए जी.आर. मटोरिया, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड, श्रीगंगानगर से प्राप्त की जाकर उसे अवॉर्ड में आधार बनाते हुए जबकि इस रिपोर्ट में भी 80 खजूर के पौधे अवस्थित होना स्वीकार किया गया एवं गूगल मैप से भी सन् 2018 में मौका पर खजूर के पेड़ होना प्रमाणित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बिना किसी आधार के रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि 27 पौधों को आधार मानकर मुआवजा राशि की गणना की जावे क्योंकि बाकी के खजूर के पौधों को पूर्ण निश्चित विन्यास पर नहीं करने एवं खेत की पैराफेरी पर करने के कारण [illegible] आधार पर मुआवजा राशि दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उचित होगा। उक्त रिपोर्ट दिनांकित 04.05.2022 मौका वास्तविकता से परे एवं महज प्रार्थी को लाभ दिये जाने के आश्य से आधारहीन तैयार करवायी जाकर बिना मौका जांच स्वयं अनावेदक संख्या 2 के द्वारा किये अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 पारित कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है एवं **पूर्व रिपोर्ट प्रीति बाला सहायक निदेशक उद्यान को ना माने जाने का कोई भी आधार अवॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 प्रार्थी की** हद तक यथा **संशोधित किया जाकर मुआवजा राशि 6,36,91,605/— रूपये निर्धारित करते हुए सोलेशियम आरोपित कर प्रार्थी को दिलाये जाने हेतू आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किये जाने योग्य है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3डी (2) के अनुसार अर्जन की घोषणा होने के बाद उक्त खसरान की अवाप्त भूमि व उस पर स्थित पेड पौधे/वृक्ष इत्यादि निर्बाध रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गये जबकि धारा 3डी (2) के अनुसरण में घोषणा के प्रकाशन पर भूमि आत्यंतिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी। प्रार्थी के ऐसे तथ्य अंकित करने के पीछे दुर्भावनापूर्वक आश्य यह है कि प्रार्थी यह कथन करना चाहता है कि भूमि अवाप्त होने से उस पर स्थित संरचना, जो कि खजूर के वृक्ष है, वे भी उसी अवाप्ति मुआवजा के तहत केन्द्रीय सरकार में निहित हो गये, इस हेतु पृथक से मुआवजा देय नहीं है जबकि अवाप्त भूमि का अवॉर्ड समुचित रूप से पारित होने के उपरान्त इस पर अवस्थित संरचना मसलन निर्माण, वृक्ष, पेड पौधों का आयु, लाभांश, नुकसान के अनुसरण में आंकलन कर इसका पृथक से मुआवजा देय होता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि एन.एच.आई. प्रार्थी हस्तगत आवेदन पत्र से अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 को गलत पारित किया गया होना कथन कर आर्बिट्रेटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अवॉर्ड पारित करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आया है एवं वहीं दूसरी ओर पूर्व पारित अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 को विधिसम्मत होना कथन कर रहा है अर्थात जिसका तात्पर्य यह है कि यदि अनावेदक संख्या 2 के द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कम दिया है तो वह सही है, लेकिन यदि संरचनाओं का **मुआवजा यदि कुछ ज्यादा, हालांकि यह तथ्य स्वीकार नहीं है, दे दिया तो अनावेदक संख्या 2 गलत है।** जबकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुरूप अनावेदक संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी को अधिग्रहित की गयी भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का मुआवजा न्यून दिया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी की पृथक से याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के द्वारा स्वतः ही मनमाफिक ढंग से भूमि की परिभाषा अंकित करते हुए अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 को सम्पूर्ण गलत होना अंकित किया है जबकि पूर्व पारित अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि भूमि पर स्थित संरचनाओं का पृथक से अवॉर्ड पारित किया जायेगा एवं प्रार्थी की ओर से पूर्व पारित अवॉर्ड दिनांक 26.05.2021, जिसमे कि उक्त तथ्य अंकित है, को कभी भी चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिती में प्रार्थी के द्वारा इस मद में वर्णित उक्त तथ्य कोई महत्तव नहीं रखते है एवं भूमि की मुआवजा राशि एवं इस पर अवस्थित लाभांश देने वाले वृक्षों, पौधों की अधिग्रहण के फलस्वरूप हुए नुकसान का पृथक से आंकलन कर सभी गणकों के साथ अवॉर्ड पारित किया जाना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की मंशा के अनुरूप होने के कारण हस्तगत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(बी) की परिभाषा व उसकी कथित वास्तविक मंशा व अर्थ को समझे बिना तथा धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानों के विपरीत जाकर दिनांक 18.06.2021 को अधिग्रहित की गयी भूमि पर स्थित खजूर के वृक्षों की मुआवजा राशि 6,36,91,605 /—रूप्ये निर्धारित की गयी है वरन् सही एवं विधिसम्मत रूप से पेड़ पौधों के नुकसान, आयु, लाभांश को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिसे ना माने जाने का कोई आधार अनावेदक संख्या 2 के पास नहीं था लेकिन प्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से उक्त रिपोर्ट का ना माना जाकर वरन् अपने स्तर पर एवं अपने हिसाब से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं इस रिपोर्ट से प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर खजूरों के पेड़ो की आयु, फसल एवं अन्य नुकसानों का आंकलन करते हुए मुआवजा राशि 2,83,66,803 /— रूपये आंकते हुए एवं स्कूल की बिल्डिंग की कीमत 99,30,763 /— रूप्ये कायम करते हुए यथा कुल 3,82,97,566 /— रूपये एवं 100 प्रतिशत सोलेशियम आरोपित करते हुए कुल राशि 7,65,95,132 /— रूपये का अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया गया है जिसे प्रार्थी के द्वारा जरिए याचिका पृथक से चुनौती दी है जो कि याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खजूर के पौधे विभागीय निर्देशानुसार सही या नहीं का परीक्षण करने हेतु संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर को मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 को प्रेषित की गयी हो वरन् विधिसम्मत रिपोर्ट को प्रार्थी को अनुचित लाभ देने के आश्य से कम करवाने के लिए पृथक से अपने स्तर पर मनमाफिक रिपोर्ट ली जाकर पौधों की मुआवजा राशि कम करवायी गयी। संयुक्त निदेशक विस्तार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक [illegible] पूर्व रिपोर्ट को नकारते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

एवं बिना किसी विधि सम्मत विवेचन के अपने स्तर पर ही यह अंकित करते हुए कि खेत की पैराफेरी पर उद्यानिकी पौधों का रोपण करना बाग स्थापना की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है एवं **खजूर के पौधे स्कूल की दीवार के समीप पैराफेरी पर प्रदर्शन मात्र के उद्देशय से रोपित किये गये है, मुआवजा राशि कम करने की रिपोर्ट दी गयी,** जबकि किसी भी विधि अथवा अधिनियम के अन्दर यह परिभाषित नहीं है कि खजूर के पौधे बाउन्ड्री पर स्थित हो तो वे बाग की श्रेणी में नहीं आते है एवं यह तथ्य भी परिभाषित नहीं है कि बाउन्ड्री पर लगे खजूर के वृक्ष फल नहीं देते है एवं भूमि के मध्य में लगे वृक्ष ही फल देते है एवं वहीं वृक्ष बाग की श्रेणी में आते है। वृक्ष कहीं भी लगे हो फल देते है जिसका नुकसान प्रार्थी को हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में पौधों की आयु महज प्रार्थी को अनुचित लाभ देने के आशय से 80 पौधे अवस्थित होने के बावजूद महज 27 पौधों का मुआवजा निर्धारित करने का अंकित किया गया है जिस पर अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 पारित किया गया है जबकि पूर्व रिपोर्ट सहायक निदेशक उद्यान की रिपोर्ट, जिसे ना माने जाने का कोई आधार अनावेदक संख्या 2 के पास नहीं था, को आधार बनाया जाकर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मंशा के अनुरूप प्रभावित पक्षकार को समुचित मुआवजा राशि दिये जाने के अधीन ही अवॉर्ड पारित किया जाना चाहिये।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से भी दो माह पूर्व से वरन सन् 2016 से प्रार्थी की अधिग्रहित की गयी भूमि पर फलदार खजूर के वृक्ष एवं बाग होने के फलस्वरूप [illegible] अवस्थित संरचनाओं की मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी [illegible] दिनांक 24.06.2022 से मुआवजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राशि अत्यधिक न्यून निर्धारित की गयी है जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी के द्वारा पृथक से अपनी याचिका माननीय न्यायालय में धारा 3जी (5) राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जा चुकी है, जो कि विचाराधीन है। प्रार्थी के द्वारा यदि कूटरचित कोई गूगल मैप प्रस्तुत की है तो उससे प्रार्थी को कोई विशेषाधिकार हस्तगत याचिका प्रस्तुत करने का प्राप्त नहीं होता है। अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 से माह दिसम्बर 2021 तक अवाप्त भूमि पर खजूर के पौधे स्थित नहीं थे यदि ऐसी स्थिती होती तो सन् 2018 में 3डी होने के उपरान्त इतना अर्सा तक प्रार्थी क्या कर रहा था इस सम्बन्ध में कोई विवरण अंकित नहीं किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बिना किसी आधार खजूर के पौधों का रोपण अधिसूचना के उपरान्त होना बताया गया है जबकि प्रार्थी कृषि विशेषज्ञ नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दो दो बार रिपोर्ट प्राप्त कर एवं प्रथम रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर द्वितीय रिपोर्ट के आधार पर अविधिक रूप से कम मूल्यांकन कर अवॉर्ड पारित किया गया है एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मंशा के विपरीत प्रार्थी मुआवजा राशि की अदायगी से बचने के लिए ऐसे वेग कथनों पर प्रार्थना पत्र लेकर आ रहा है। प्रार्थी का यह तथ्य की अवाप्त भूमि पर स्थित संरचनाओं का अत्यधिक मुआवजा प्राप्त करने के आश्य से पौधों का रोपण किया गया हो। प्रार्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र में महज तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में सुसंगत नहीं है एवं प्रार्थी के द्वारा सहायक उद्यान निदेशक की रिपोर्ट के सन्दर्भ में एक भी तथ्य अंकित नहीं किया है जिसे कि अवॉर्ड का आधार बनाया जाना चाहिये था। प्रार्थी अपने उत्तरदायित्वों से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मंशा के प्रतिकूल विमुख नहीं हो सकता है एवं अप्रार्थी मुजीब अपनी अधिग्रहित भूमि पर स्थित संरचनाओं [illegible] प्राप्त करने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी की ओर से अवॉर्ड दिनांक [illegible] के विरूद्ध पृथक से याचिका अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग अधिनियम के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

(Manju)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मंशा एवं प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी नहीं है एवं आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी न्यायालय को गुमराह करना चाहता है एवं सरकारी कोष का गलत उपयोग करते हुए न्यायालय का वक्त जाया करना चाहते है जिससे अप्रार्थी, जिसकी भूमि एवं भूमि पर स्थित संरचनाओं को अवाप्त कर समुचित मुआवजा नहीं दिया गया है, को अत्यधिक मानसिक एवं आर्थिक प्रताडना हो रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रीति बाला सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित था कि प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर 80 खजूर के पौधे रोपित है जिसके सन्दर्भ में समस्त वस्तुःस्थिती, मौका देखकर, गूगल मैप से फोटो ली जाकर एवं सम्बन्धित रिपोर्ट ली जाकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुआवजा राशि 6,36,91,605/— रूप्ये प्रस्तावित की गयी थी जिस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम आरोपित करते हुए यथा राशि प्रार्थी को स्थित परिसंपत्तियों में खजूर के पौधों के नुकसान के आंकलन स्वरूप दिये जाने का प्रावधान अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 में किया जाना चाहिये था, लेकिन अनावेदक संख्या 2 के द्वारा उक्त रिपोर्ट को ना मानते हुए वरन् दिनांक 04.05.2022 को पुनः एक रिपोर्ट अपनी अधिकारिता का दुरुप्योग करते हुए जी.आर. मटोरिया, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड, श्रीगंगानगर से प्राप्त की जाकर उसे अवॉर्ड में आधार बनाया गया जबकि इस रिपोर्ट में भी 80 खजूर के पौधे अवस्थित होना स्वीकार किया गया एवं गूगल मैप से भी सन् 2018 में मौका पर खजूर के पेड होना प्रमाणित है लेकिन बिना किसी आधार [illegible] गया कि 27 पौधों को आधार मानकर मुआवजा राशि की [illegible] बाकी के खजूर के पौधों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

रोपण उचित विन्यास पर नहीं करने एवं खेत की पैराफेरी पर करने के कारण औसत आधार पर मुआवजा राशि दिया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट दिनांकित 04.05.2022 मौका वास्तविकता से परे एवं महज प्रार्थी को लाभ दिये जाने के आशय से आधारहीन तैयार करवायी जाकर बिना मौका जांच स्वयं अनावेदक संख्या 2 के द्वारा किये अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 का आधार बनाकर अवॉर्ड पारित कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है एवं **पूर्व रिपोर्ट प्रीति बाला सहायक निदेशक उद्यान को ना माने जाने का कोई भी आधार अवॉर्ड में अंकित नहीं होने के कारण अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 प्रार्थी की हद तक यथा संशोधित किया जाकर मुआवजा राशि 6,36,91,605/— रूपये निर्धारित करते हुए सोलेशियम आरोपित कर प्रार्थी को दिलाये जाने हेतू आर्बिट्रेटर अवॉर्ड पारित किये जाने योग्य है।** खजूर के पेड़ो का विन्यास उचित ना होना एवं खेत की पैराफेरी पर होना अवॉर्ड में राशि कम करने का उचित आधार नहीं है क्योंकि खजूर के पेड़ों का नुकसान भूमि अधिग्रहण से होना प्रमाणित था इसलिये समस्त 80 पेड़ो का मुआवजा यथा सूची अनुसार प्रार्थी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है जिस हेतू अवॉर्ड दिनांक 24.06.2022 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी की ओर से पृथक याचिका माननीय न्यायालय में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि विचाराधीन है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि प्रार्थी के द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थी को अवॉर्ड के अधीन कोई भी राशि अप्रार्थी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रदान नहीं की है जिसे अप्रार्थी मुआवजा मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अनुचित एवं अव्यवहारिक ढंग से पौधों के नुकसान का आंकलन कम करके अवॉ[illegible] करने से भी असन्तुष्ट होकर तथा तैय की गयी मुआवजा रा[illegible] करते हुए ओर कम करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Ao 14
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के आश्य से आधारहीन तथ्यों पर प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि सम्बन्धित विभाग भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मंशा के विपरीत कार्य कर मुआवजा राशि देने के लिए इच्छुक नहीं है जबकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों की मंशा प्रभावित पक्षकार को समुचित एवं अधिक से अधिक मुआवजा प्रतिस्थापन एवं पुर्नभरण के लिए दिये जाने की व्यवस्था होने के कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है एवं अवॉर्ड दिनांकित 24.06.2022 आवेदक की हद तक उपरोक्त वर्णित तथ्यों के मध्यनजर संशोधित किया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पृथक याचिका स्वीकार कर आर्बिट्रेटर अवार्ड पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/ चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार की भूमि चक 1 एफ ए के खसरा नम्बर 34/20 अवाप्त की गई, जिसमें सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ पारित करने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा [illegible] अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 02.04.2018 को अवाप्त भूमि [illegible] संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में खजूर के पेड़ों जो मुआवजा राशि तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
> **(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**
> (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;
> (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
> (d) if, in consequence of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 धारा 3ए के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

3A. Power to acquire land, etc.--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.

(2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after sue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is advisable for the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through phot aphs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

डायरेक्टर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii)

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section (3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

उक्त वर्णित राजस्थान राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार की अवाप्त की गई भूमि में खजूर के पेड़ अस्तित्व में थे, तो उसमें कितने पेड़ खजूर के थे? पर विचार करके ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 17.09..2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में खजूर के पेड़ दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो दिनांक 09.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौक निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को अवाप्त की गई भूमि पर कुल 80 खजूर के पौधे पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान), सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर एवं प्रोजेक्ट इचार्ज, एग्रीकल्चर के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर कोई खजूर के पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर मुआवजा देय नहीं बनता है।**

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.09.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 15 खजूर के पौधे 6 वर्ष, 20 पौधे 01 वर्ष एवं 45 पौधे 4 वर्ष के बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 में उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 17.09.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 15 खजूर के पौधों की आयु 6 वर्ष, 20 पौधों की आयु 01 वर्ष एवं 45 पोधों की आयु 04 वर्ष बताई गई है। **उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि** कुल 80 खजूर के पौधे बताये गये है, जो दिनांक 17.09.2021 को 15 पौधें 6 वर्ष के, 20 पौधें 01 वर्ष के एवं 45 पौधे 04 वर्ष की आयु के बताये गये है इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को **उक्त 15 किन्नू के पौधे की आयु केवल 2 वर्ष 7 माह, 45 पौधों की आयु 7 माह एवं 20 पौधे अस्तित्व में होने नहीं पाये जाते है। तहसीलदार, करणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 की स्थिति के अनुसार 27 पौधें की जो मुआवजा राशि 2,83,66,803/—रूपये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।**

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 15 किन्नू के पौधों की आयु 01 वर्ष 7 माह बनती है, **जो दो वर्ष से कम अवधि के है, 45 पौधों की आयु 7 माह बनती है, जो एक वर्ष से कम अवधि की है तथा 20 पौधों उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में नहीं थी। तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान** आयुक्तालतय, **पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162—4247 दिनांक 19.01.2020 के [illegible] — मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) — पौधों का आधार [illegible]** जो दो वर्ष के खजूर के पौधे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का आधार मूल्य 1589/— रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि (1589X3=)4767/— रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 15 पौधों की मुआवजा राशि 71,505/— रूपये बनती है इसीप्रकार इस प्रकार एक वर्ष के खजूर के पौधे का आधार मूल्या 1284/— रूपये है। इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि (1284X3=)3852/— रूपये मुआवजा बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 45 पौधों की मुआवजा राशि 1,73,340/— रूपये बनती है। इस प्रकार अप्रार्थी के खजूर के पौधों की कुल राशि 2,44,845/— रूपये बनती है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मुआवजा राशि 2,83,66,803/— बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 2,44,845/— रूपये बनती है, जिस रिपोर्ट को अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार ने भी सही माना है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर खजूर के पौधों अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 2,81,21,958/— रूपये अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को खजूर के पौधे रोपित किये गये है, जिसमें 15 पौधों की आयु 6 वर्ष, 20 पौधों की आयु 01 वर्ष एवं 45 पौधों की आयु 4 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02[illegible] को कोई खजूर के पौधे/वृक्ष था तो उस दिनांक 02.04.20[illegible] की संख्या, पौधों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मुआवजा राशि 2,83,66,803/—रूपये अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी सतेन्द्र कुमार की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई खजूर के पौधें/वृक्ष था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को खजूर के पौधें/वृक्ष अस्तित्व में था, तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 को ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, 02 माह में अवार्ड जारी कर,** अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता **को सूचित करें।** आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

...मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:20 IST
Reason: SelfAttested